रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 3 जून, 2005/13 ज्येष्ठ, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

कारण बताओ नोटिस

शिमला-9, 18 मई, 2005

संख्या पी0 सी0 एच0-एचए(5) 9030-36.—यह कि श्रीमती सुलोचना देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत अग्घार, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर को उपायुक्त, हमीरपुर द्वारा अंकेक्षण पत्र में उद्धृत गम्भीर आपत्तियों तथा इस पर की गई प्रारम्भिक छानबीन के आधार पर दिनांक 17-5-2004 को उन्हें प्रधान, ग्राम पंचायत अग्घार के पद से निलम्बित किया गया था ;

यह कि उपायुक्त हमीरपुर द्वारा मामले की वास्तविकता जानने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत उप-मण्डलाधिकारी (ना0), हमीरपुर, जिला हमीरपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया ;

यह कि जांच अधिकारी द्वारा की गई विस्तृत जांच रिपोर्ट उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से दिनांक 5-3-2005 को निदेशालय में प्राप्त हुई तथा प्राप्त जांच रिपोर्ट में दर्शाये गये तथ्यों का बारीकी से अध्ययन करने उपरान्त जो आरोप उनके विरुद्ध सिद्ध पाये गये उनका विवरण निम्न है :—

1. ग्राम पंचायत अग्घार की सामान्य रोकड़ के पृष्ठ संख्या 62 जो कि पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय वितरण से सम्बन्धित है के क्रमांक 5 व 7 पर वार्ड पंचों सुखा देवी व रविकुमार के हस्ताक्षर नहीं थे तथा उनके नाम से मु0 300/- रु0, मु0 300/-रु0 की अदायगी दर्शाई गई थी ।

658-राजपत्र/2005-3-6-2005—1,439. मूल्य : एक रुपया ।

अंकेक्षण अवधि दिनांक 15-12-2003 से 22-12-2003 तक उक्त वार्ड पंचों को मानदेय की अदायगी नहीं हुई थी । रोकड़ बही अनुसार पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय की अदायगी अंकेक्षण आपत्ति के पश्चात हो हुई प्रतीत होती है ।

2. पंचायत की सामान्य रोकड़ बही में वाउचर संख्या 43 के अन्तर्गत दिनांक 26-9-2002 को मतदाताओं के पहचान पत्र बनाने वाले कर्मचारियों का खान-पान व्यय मु0 1440/- रु0 डाला गया है जो कि तर्क संगत नहीं है । प्रधान इस अवैध व्यय के लिए उत्तरदायी है ।

3. ग्राम पंचायत रोकड़ बही में दिनांक 21-11-2002 को वाउचर संख्या 60 जो मुरम्मत दवाकरा हाउस नाहलवी मस्ट्रोल मास 11/2002 मु0 627.50 रु0 का है, में श्री परमानन्द पुत्र श्री बर्फी राम व श्री राम राखा पुत्र श्री थलिया राम की हाजिरी दिनांक 5-11-2002 से 9-11-2002 तक लगी है तथा यही व्यक्ति वाउचर संख्या 64 मुरम्मत पंचायत घर मस्ट्रोल मास 11/2002 जो कि मु0 1805/- रु0 का है में भी दिनांक 5-11-2002 से 14-11-2002 तक दर्ज थी जिसे अंकेक्षण आपत्ति उपरान्त रिकार्ड में हेराफेरी कर 5 से 10 तक की हाजिरी काट दी गई है तथा इन व्यक्तियों को 15 से 20 तक हाजरी लगा दी है । इस प्रकार प्रधान द्वारा इन दोनों व्यक्तियों को एक ही समय में भिन्न-भिन्न कार्यों पर उपस्थिति दर्शाकर सरकारी धनराशि का छलहरण/दुरुपयोग किया है ।

4. पंचायत की रोकड़ बही की जांच से पाया गया है कि वर्ष 2001-02 के दौरान राशन कार्ड की बिक्री से केवल मु0 520/- रु0 की ही आय हुई है जबकि राशन कार्ड खरीदने पर मु0 850/- रु0 व्यय किये गये थे । इस प्रकार मु0 330/- रु0 की पंचायत निधि की क्षति हुई है जिसके लिए प्रधान दोषी है ।

5. ग्राम पंचायत की रोकड़ बही में वाउचर संख्या 65, 66 के अन्तर्गत दिनांक 8-11-2001 को मटीरियल खरीद व ढुलाई का व्यय क्रमशः मु0 6000/- रु0 व मु0 1100/- रु0 पंचायत ढांचे के रख रखाव हेतु डाला गया है । इसी तरह वाउचर संख्या 66, 67 व 68 के तहत दिनांक 16-12-2002 को ही पंचायत ढांचे के रखरखाव हेतु क्रमशः मु0 3200/-, 800/-, 800/- रु0 खरीद मटीरियल व ढुलाई का व्यय दर्ज है । इन वाउचरों में न तो यह बताया गया है कि मटीरियल कहां किस स्थान पर पहुंचाया गया, न ही जगह/रास्ते का नाम जहां मटीरियल उपयोग हुआ है । यदि कहीं कार्य किया गया है तो उसका मूल्यांकन करवाया जाना अनिवार्य था । अतः इस मामले में भी मु0 11,900/- रु0 के छलहरण की प्रधान की पूर्ण रूप से संलिप्तता सिद्ध होती है ।

6. स्वर्ण जयन्ती ग्राम रोजगार योजना के तहत दिनांक 15-8-2002 को प्रधान द्वारा मु0 1300/- रु0 बैंक से निकाल कर अंकेक्षण समय तक इस राशि को पंचायत रोकड में दर्ज करवाकर सौंपा नहीं गया था । इस रोकड की जांच करने पर पाया गया कि मु0 1300/- रु0 की जबरदस्ती इन्द्राज कर दिनांक 3-9-2002 को व्यय वाउचर दर्शाये गये हैं तथा इन वाउचरों पर भी ओवरराईटिंग की गई है । अतः इस मामले में भी मु0 1300/- रु0 के छलहरण के प्रधान दोषी है ।

7. स्वर्ण जयन्ती ग्राम रोजगार योजना केश बुक पृष्ठ 64 दिनांक 3-9-2002 को निर्माण रास्ता अग्वार व निर्माण रास्ता नाहलवीं के वाउचर संख्या 6 व 11 के अवलोकन से 15-15 बैग सीमेंट की अदायगी क्रमशः मु0 2415/- व मु0 2415/- रु0 की प्राप्ति रसीद पर प्रधान के हस्ताक्षर हैं । जबकि रसीद में मि0 सामुदायिक केन्द्र अग्वार (रोपा) के जनरल खाते से एस0 जी0 आर0 वाई0 खाते में सीमेंट स्टाक पड़ा खराब हो रहा है उसे निर्माण रास्ता नाहलवीं

(कुलाडी) के लिए दिया ऐसा लिखा है । जिससे स्पष्ट है कि प्रधान ने ही यह राशि अवैध तौर पर प्राप्त की है क्योंकि प्रधान सीमेंट की विक्रेता नहीं थी और न ही बतौर ठेकेदार कोई सामान बेच सकती है ।

8. 11वां वित्तायोग के अन्तर्गत जो स्कीमें ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 7-10-2001 अनुसार कार्यान्वियन हेतु पारित की थी, प्रधान ने स्वीकृत राशि को इन स्कीमों पर व्यय न करके ग्राम पंचामत द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 15-12-2001 जो कि अवैध है, राशि को पंचायत घर की ऊपरली मंजिल सम्बन्धी कार्य पर व्यय किया । इस बारे ग्राम सभा से स्कीम को बदलने बारे कोई स्वीकृति नहीं ली गई है यह ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र की उल्लंघना है । इस प्रकार प्रधान ने अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती है ।

9. ग्राम सभा बैठक दिनांक 1-7-2001 की कार्यवाही के पृष्ठों की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई उनमें प्रस्ताव संख्या 9 के साथ खाली जगह तथा जहां बैठक की कार्यवाही बंद की गई है वहां पर प्रस्ताव संख्या 10 स्वेच्छा से जोड़ा गया है । इस बारे में पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर की जांच की गई परन्तु वहाँ पर प्रस्ताव संख्या 8 के आगे पृष्ठ ही गायब है । इस प्रस्ताव के आगे बैठक की कार्यवाही भी बन्द नहीं है जिससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि कार्यवाही रजिस्टर में इसके आगे के पृष्ठ ही फाड कर गायब कर दिये हैं । अतः इन अवैध प्रस्तावों का दायित्व प्रधान पर है । रिकार्ड में छेड़ छाड़ के लिए सचिव भी जिम्मेदार है ।

उपरोक्त के दृष्टिगत श्रीमति सुलोचना देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत अग्घार, जिला हमीरपुर द्वारा आरोप संख्या 2,3,4,5,7 में क्रमशः रु0 1440/-, 627.50, 330/-, 11900/-, 4830/- कुल रु0 19,127.50 रुपये की राशि का दुरुपयोग/छलहरण किया है ।

अतः उक्त प्रधान द्वारा बरती गई विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं तथा अपने कर्तव्य निर्वहन में आपत्तिजनक कार्यकलाप के फलस्वरूप वह हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1)(ख) के अन्तर्गत अवचार की दोषी है ।

अतः इस कारण बताओ नोटिस के माध्यम से श्रीमति सुलोचना देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत अग्घार को निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त कृत्यों के लिए क्यों न उन्हें प्रधान पद से निष्कासित किया जाये ।

अतः आगामी कार्रवाई करने से पूर्व उन्हें निर्देश दिये जाते हैं कि वह उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर उक्त नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर दें । उनका उत्तर निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने पर यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ भी कहना नहीं चाहते तथा हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज, अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जायेगी । उपमण्डलाधिकारी (ना0), हमीरपुर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट संलग्न है ।

शिमला-9, 19 मई, 2005

संख्या पी0 सी0 एच0-एच ए0 (5) 91/2004-9098-9105.—यह कि जिला पंचायत अधिकारी चम्बा द्वारा जाँच उपरान्त आपको प्रधान, ग्राम पंचायत मेल, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के पद से सरकारी धनराशि के दुरुपयोग, वित्तीय अनियमितताओं, अपने कर्तव्य निर्वहन में आपत्तिजनक कार्यकलाप के फलस्वरूप उनके कार्यालय आदेश सं0 1194-1201, दिनांक 4-10-2004 द्वारा निलम्बित किया गया था;

यह कि मामले की वास्तविकता जानने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत उपायुक्त, चम्बा, द्वारा उनके कार्यालय आदेश सं0 सी0 बी0 ए0 पी0 सी0 एच0 1 (जांच)/04-1240-46, दिनांक 18-10-2004 को नियमित जांच तहसीलदार, डलहौजी को सौंपी गई;

यह कि तहसीलदार, डलहौजी द्वारा की गई विस्तृत जांच रिपोर्ट उपायुक्त, चम्बा से उनके कार्यालय पत्र सं0 361, दिनांक 14-3-2005 के अन्तर्गत निदेशालय में प्राप्त हुई तथा जांच रिपोर्ट में दर्शाए गए तथ्यों का अध्ययन करने उपरान्त जो आरोप आपके विरुद्ध पाये गए उनकी सूची इस कारण बताओ नोटिस के परिशिष्ट "क" पर संलग्न की जाती है।

आप द्वारा अपनाई गई विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं तथा अपने कर्तव्य निर्वहन में आपत्तिजनक कार्य-कलाप के फलस्वरूप आपको हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत निष्कासित करने की कार्रवाई प्रस्तावित है।

अतः इस कारण बताओ नोटिस के माध्यम से आपको निर्देश दिए जाते हैं कि उपरोक्त कृत्यों के लिए क्यों न आपको प्रधान पद से निष्कासित किया जाये। अतः आप इस कारण बताओ नोटिस का उत्तर नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर दें। आपका उत्तर निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने पर यह समझा जाएगा कि आप अपने पक्ष में कुछ भी कहना नहीं चाहते तथा मामले में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) के अन्तर्गत एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तहसीलदार, डलहौजी, जिला चम्बा द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न है।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव।

श्री अरुण कुमार,
प्रधान (नि0) ग्राम पंचायत मेल,
विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

परिशिष्ट "क"

क्र0 सं0	निर्माण कार्य का नाम	जारी की गई राशि का विवरण	विकासात्मक कार्यों की स्थिति
1.	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना चरण-II के अन्तर्गत निर्माण रास्ता नेकी से मेल।	24,809.00 दिनांक 18-9-2003 दिनांक 22-9-2003	मौका पर कार्य नही हुआ है।
2.	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना चरण-II के अन्तर्गत फुटपाथ मेल से खड्ड हेतु।	20,340.00 दिनांक 14-3-2003	-यथा-
3.	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना चरण-II के अन्तर्गत गोचर फुटपाथ हेतु।	20,400.00 दिनांक 14-3-2003	-यथा-

अतः उपरोक्त कार्यों पर कुल रु0 65,549/- रु0 की राशि प्राप्त की गई। जबकि राशि रोकड़ में दर्ज है परन्तु मौके पर कार्य नहीं किया गया, उक्त राशि का छलहरण किया गया।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।